कार्यालय मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 2231 /11सी– ,लखनऊ : दिनांकःदिसम्बर 21 ,2015

सेवा में,

वन संरक्षक,
चित्रकूट धाम वृत्त,
बांदा।

विषयः– जनपद–बांदा में वित्तीय वर्ष 2014–15 के बुन्देलखण्ड विकास निधि (राज्यांश) के अन्तर्गत तिन्दवारी–पपरेंदा–पैलानी–जसपुरा–सुमेरपुर मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग संख्या–40 बी) के किमी0 24 के ककनारे बाबा नाले पर कर्व सुधार एवं 2.x5 मी0 ऊंचाई का आर0सी0सी0 बॉक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य में 0.30 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 171 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपके कार्यालय का पत्रांक –3313/33–1, दिनांक–15.12.2015

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त विषयगत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियॉं/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

1. आरक्षित वनभूमि के बदले समतुल्य गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उपयुक्ता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है, किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित नहीं है तथा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल (गैर वनभूमि) का शीर्षक तथा तालिका सहित मानचित्र संलग्न नहीं किया गया है।
2. प्रस्तावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) जमा किये जाने स्पष्ट वचनबद्धता संलग्न नहीं की गयी है तथा इसके साथ यदि एन0पी0वी0 में कोई बढौतरी की जाती है तो उसकी भी वचनबद्धता संलग्न करें।
3. प्रमुख वन संरक्षक, लखनऊ के पत्रांक 1017/23 कोर्टकेस, दिनांक 11.11.11 के अनुसार वन स्वरूप चिन्हित क्षेत्र इस प्रस्ताव में सम्मिलित न होने सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है।
4. परियोजना से 10 किमी0 की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है।
5. प्रस्तावित परियोजना में मलवा उत्सर्जन का उल्लेख किया गया है। अतः गैर वनभूमि पर किये जाने वाले मलवा निस्तारण के लिये भू–स्वामित्व का सहमत पत्र संलग्न करें।
6. प्रस्ताव के भाग–2 के VI में हरियाली का घनत्व अंकित नहीं किया गया है जबकि प्रस्ताव में 171 वृक्षों का पातन निहित है, स्थिति स्पष्ट करें।

कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव प्राप्त कराकर, इंगित कमियों के निराकरण के पश्चात् पूर्ण प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

व-दो/वन-1

वन संरक्षक
चित्रकूटधाम वृत्त, बांदा
29/12/15

भवदीय,
(हस्ताक्षर) 21/12/15
(डा0 राजीव कुमार गर्ग)
मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– /11–सी– ,दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, बांदा वन प्रभाग, बांदा।
2. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड–2, बांदा।

(डा0 राजीव कुमार गर्ग)
मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0,लखनऊ।

कार्यालय वन संरक्षक चित्रकूट धाम वृत्त बांदा
पत्रांक 3489 /33-1 / दिनांक 29-12-2015

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी बांदा को उपरोक्तानुसार इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ द्वारा 6 बिन्दुओं पर की गयी कमियों का निराकरण करने हेतु आप अपने कार्यालय प्रतिनिधि से विषयांकित प्रस्ताव प्राप्त कर कर इंगित कमियों का निराकरण कराने के उपरान्त प्रस्ताव तत्काल प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

अग्रसारित
मुख्य लिपिक
कार्यालय वन संरक्षक
चित्रकूटधाम वृत्त, बांदा-385

वन संरक्षक
चित्रकूट धाम वृत्त बांदा